दिनांक 19.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 35 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में स्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करते हुये फीड बैक लिया गया।

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, समस्त संयुक्त पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट (नोडल अधिकारी मिशन शक्ति) एवं समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी/प्रभारी, मिशन शक्ति केन्द्र के साथ प्रदेश में स्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करते हुये फीड बैक लिया गया।

उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा अक्टूबर 2020 में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया। विगत पाँच वर्षों में समग्र रूप से, मिशन शक्ति अभियान महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षित वातावरण के निर्माण की दिशा में एक प्रभावी और सफल पहल सिद्ध हुआ है।

वर्ष 2020 में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई थी। यह व्यवस्था महिलाओं की शिकायतों के त्वरित पंजीकरण एवं प्रारम्भिक सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण पहल थी।

माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण द्वारा सितंबर 2025 में इस व्यवस्था को सुदृढ़ एवं विस्तारित करते हुए प्रत्येक थाने में मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है, जो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार है।

मिशन शक्ति केन्द्र अब केवल शिकायत दर्ज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एकल सम्पर्क बिन्दु (Single Point of Support) के रूप में कार्य करता है। इसके माध्यम से महिला शिकायतकर्ता को प्रकरण के प्रारम्भ से लेकर न्यायिक प्रक्रिया की पूर्णता तक मानसिक, सामाजिक, कानूनी एवं संस्थागत सहयोग सुनिश्चित किया जाता है।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा मिशन शक्ति केन्द्रों की स्थापना की समीक्षा करते हुए यह पाया गया कि इसके अत्यंत सार्थक परिणाम प्राप्त हुए हैं। मिशन शक्ति केन्द्र स्थापित होने से तीन माह पूर्व **(दिनांकः 16.06.25 से 15.09.25 तक)** व स्थापित होने के तीन माह पश्चात **(दिनांकः 16.09.25 से 15.12.25 तक)** के मध्य **पूरे प्रदेश के महिला सम्बंधी अपराधों के आंकड़ों** की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त अपराधों में आयी गिरावट का विवरण निम्नवत हैः -

- **बलात्कार** सम्बंधी प्रकरणों में करीब 33.92 प्रतिशत की कमी हुयी है, जिसमें सर्वाधित 76.92 प्रतिशत की कमी जनपद बाराबंकी में पायी गयी है।

- **महिलाओं एवं बच्चियों के अपहरण** सम्बंधी प्रकरणों में करीब 17.03 प्रतिशत की कमी हुयी है, जिसमें सर्वाधिक 42.61 प्रतिशत की कमी जनपद अमेठी में पायी गयी है।
- **दहेज हत्या** सम्बंधी प्रकरणों में करीब 12.96 प्रतिशत की कमी हुयी है, जिसमें सर्वाधित 80.00 प्रतिशत की कमी जनपद बलरामपुर में पायी गयी है।
- **घरेलू हिंसा** सम्बंधी प्रकरणों में करीब 9.54 प्रतिशत की गिरावट आयी है, जिसमें सर्वाधिक 35.90 प्रतिशत की कमी जनपद श्रावस्ती में पायी गयी है।

फीडबैक सेशन के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने-अपने परिक्षेत्र के जनदों के मिशन शक्ति केन्द्र स्थापित होने के पश्चात आये सार्थक परिणाम, समस्या एवं सुझाव उपलब्ध कराये गये, जो निम्नवत हैः-

- सभी अधिकारियों द्वारा मिशन शक्ति केन्द्रों की स्थापना होने से शिकायतों में कमी आने तथा विवादों का निस्तारण आपसी बात-चीत व काउंसलिंग के माध्यम से होने की जनता द्वारा सराहना किये जाने की बात बतायी गयी।
- समीक्षा में विभिन्न परिक्षेत्रों द्वारा महिला एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु किये जा रहे नवाचारों को रेखांकित किया गया, जिसमें बरेली परिक्षेत्र के जनपद पीलीभीत में वृद्ध एवं असहाय महिला का बैंक खाता खुलवाकर वृद्धावस्था पेंशन बनवाने तथा निर्धन बच्चियों के विद्यालय में दाखिले की व्यवस्था कराने, अयोध्या परिक्षेत्र में केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभागीय समन्वय से बुकलेट तैयार कर मिशन शक्ति केन्द्रों में वितरण कराने, झांसी परिक्षेत्र में महिलाओं/बालिकाओं द्वारा गोपनीय रूप से शिकायत दर्ज कराने हेतु हॉट स्पॉट चिन्हित कर वहां पर कम्पलेन्ट बॉक्स की स्थापना करने तथा लखनऊ परिक्षेत्र में ग्राम/मोहल्ला/बीट स्तर पर सक्रिय महिलाओं को मिशन शक्ति वालंटियर बनाकर पीड़िताओं की समस्याओं को केन्द्र तक पहुँचाने के साथ-साथ अवैध गतिविधियों एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं के संकलन की प्रभावी व्यवस्था कराया जाना शामिल है।

<u>समीक्षा के अंत में पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा अपने संबोधन में कहा गया किः-</u>

- मिशन शक्ति **Whole of Government Approach** पर आधारित है, जिसमें पुलिस की भूमिका समन्वयक एवं लीड एजेंसी की है। इसका उद्देश्य शिकायतों के निस्तारण के साथ-साथ नागरिकों को सही जानकारी, सही विभाग और सही प्रक्रिया से जोड़ना है। शीघ्र ही केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से सम्बंधित बुकलेट, वीडियो और डिजिटल सामग्री उपलब्ध करायी जायेंगी, जिससे सभी को जागरूक किया जा सके।
- मिशन शक्ति केन्द्र, थानों एवं अन्य इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय, संसाधनों का संतुलित उपयोग तथा डेटा आधारित मूल्यांकन किया जाये।
- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र के जनपदों में की जाने वाली गोष्ठियों में मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारियों के साथ-साथ थाना प्रभारी को भी सम्मिलित किया जाये जिससे उनके मध्यम बेहतर सामन्जस्य स्थापित हो सके।

- वह बालिकायें जो संकोच वश अपनी शिकायत किसी को नहीं बता पाती हैं उनके लिये स्कूल स्तर पर बैठक कर प्रधानाचार्य की सहमति से विद्यालय परिसर में थाना-स्तरीय शिकायत पेटी लगाई जाए और उसका प्रचार किया जाए, शिकायत पेटी पर मिशन शक्ति केन्द्र व उनके नम्बर लिखवाये जायें।
- चौकी स्तर पर भी जो महिलाओं से संबंधित शिकायतों प्राप्त हो रहीं हैं उनका भी मिशन शक्ति केन्द्रों के समाधान कराया जाये।
- मिशन शक्ति केन्द्र व थाने के विवेचकों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित किया जाये ताकि अभियोगों के निस्तारण में सहयोग प्राप्त हो सके।
- यदि किसी जनपद में मिशन शक्ति केन्द्र द्वारा समस्याओं के निस्तारण में यदि किसी नयी बेस्ट प्रैक्टिस का प्रयोग किया गया है तथा उससे उन प्रकार की शिकायतों में कमी आ रही है तो उस बेस्ट प्रैक्टिस की समीक्षा कर सभी से शेयर किया जाये ताकि सभी जनपदों द्वारा भी उसका अपने यहां प्रयोग किया जा सके।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अंत में **महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन** के द्वारा मिशन शक्ति केन्द्र के सफल क्रियान्वयन हेतु किये जा रहे कार्यों की सराहना करते हुये कहा गया कि मिशन शक्ति केन्द्रों की स्थापना एक मजबूत शुरुआत है। सही क्रियान्वयन से मिशन शक्ति केन्द्र जिले की जमीनी पुलिसिंग में सकारात्मक और दीर्घकालिक परिवर्तन लाने वाला **गेम-चेंजर** सिद्ध हो सकता है।

दिनांक 19.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 36 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद बांदा द्वारा आयोजित परिक्षेत्रीय साइबर जागरूकता कार्यशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया शुभारम्भ।

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आज दिनांक 19.12.2025 को जनपद बांदा में आयोजित परिक्षेत्रीय साइबर जागरूकता कार्यशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारम्भ किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा उक्त साइबर जागरूकता कार्यशाला में उपस्थित डा0 संजीव गुप्ता, अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज, श्री राजेश एस0, पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र, श्रीमती जे0रिभा जिलाधिकारी बांदा, पुलिस अधीक्षक बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, विभिन्न संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधि, विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकगण, साइबर सेल, थानो के पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण, अधिवक्तागण, मीडिया बंधुओं एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े जनपद बांदा, चित्रकूट, महोबा व हमीरपुर के साइबर सेल तथा थानों के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा कार्यशाला को ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी बनाने हेतु अपना अमूल्य समय प्रदान करने वाले साइबर विशेषज्ञ श्री रक्षित टंडन का आभार व्यक्त किया गया एवं कार्यशाला के माध्यम से साइबर सुरक्षा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर जन-जागरूकता फैलाने के लिए आयोजकों का धन्यवाद किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि कोविड-19 से पूर्व मोबाइल, ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतान एवं सोशल मीडिया का उपयोग सीमित था, किंतु कोविड काल के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता के कारण डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का तीव्र विस्तार हुआ। वर्तमान में लगभग 80–85 प्रतिशत नागरिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, ई-कॉमर्स एवं क्विक कॉमर्स का उपयोग कर रहे हैं। भारत इस क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है, जहाँ सामान्य जन भी क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल भुगतान कर रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार एवं निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई डिजिटल सुविधाएँ तथा भारत में डेटा की कम लागत के कारण डिजिटल लेन-देन आमजन के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। भारत में कम लागत पर उपलब्ध डेटा की तुलना में अन्य देशों में यही सुविधा अत्यधिक महँगी है, जिससे भारत में डिजिटल अपनाने की गति कहीं अधिक रही है।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा स्पष्ट किया कि डिजिटल ट्रांजेक्शन की बढ़ती मात्रा के कारण साइबर अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। साइबर अपराधों की यह विशेषता है कि इनमें अपराधी शारीरिक रूप से सामने नहीं होता। उन्होंने बताया कि अधिकांश **साइबर अपराध चार प्रमुख कारणों से होते हैं—लालच, लापरवाही, लत तथा भय (डिजिटल अरेस्ट)**

1- लालच

लालच को साइबर अपराध का प्रमुख कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि अत्यधिक एवं सुनिश्चित लाभ का दावा करने वाली किसी भी योजना को संदिग्ध मानना चाहिए। कोई भी वैध वित्तीय प्रणाली अल्प समय में धन को दोगुना करने का आश्वासन नहीं देती। बैंक एफडी एवं शेयर बाजार जैसे वैध निवेश माध्यमों में भी रिटर्न जोखिम से जुड़ा होता है।

2- लापरवाही

लापरवाही के विषय में उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी अब अत्यंत परिष्कृत तरीकों से आमजन को भ्रमित करते हैं और अनजाने में ओटीपी अथवा संवेदनशील जानकारी साझा करवा लेते हैं। उन्होंने इस संदर्भ में सतर्कता एवं जागरूकता को सबसे प्रभावी बचाव बताया।

3-लत

ऑनलाइन गेमिंग की **लत** पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस महानिदेशक ने कहा कि धन आधारित ऑनलाइन गेमिंग कई बार गंभीर अपराधों, आत्महत्या तथा पारिवारिक त्रासदियों का कारण बनती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन गेमिंग का उद्देश्य खिलाड़ियों को लाभ पहुँचाना नहीं, बल्कि उसे विकसित करने वाली संस्थाओं को आर्थिक लाभ पहुँचाना होता है।

4- भय (डिजिटल अरेस्ट)

डिजिटल अरेस्ट के विषय में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में कोई भी कानून प्रवर्तन एजेंसी, न्यायालय अथवा विभाग वीडियो कॉल अथवा ऑनलाइन माध्यम से गिरफ्तारी या जुर्माने की मांग नहीं करता। इस प्रकार के मामलों में प्रायः पढ़े-लिखे एवं अनुभवी लोग भी **भय** के कारण ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे अधिकांश अपराध विदेशों से संचालित किए जा रहे हैं, जिन पर भारत सरकार निरंतर प्रभावी कार्यवाही कर रही है।

पुलिस महानिदेशक ने बताया कि साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देना अत्यंत आवश्यक है। यह भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रभावी तंत्र है, जिससे जुड़े सभी बैंक एवं एनबीएफसी संदिग्ध खातों को शीघ्र फ्रीज़ कर सकते हैं। समय पर दी गई सूचना से धनराशि सुरक्षित होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।

पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि साइबर अपराध अब सामान्य पुलिसिंग का अभिन्न अंग बन चुका है। उचित प्रशिक्षण, आत्मविश्वास तथा मानक कार्यप्रणाली (SOP) के अक्षरशः पालन से प्रत्येक पुलिसकर्मी साइबर अपराधों का सफलतापूर्वक अनावरण कर सकता है।

कार्यशाला के अंत में पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं उपस्थित प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए साइबर अपराध से बचाव हेतु निरंतर जनजागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया।

दिनांक 19.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 37 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्णा** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 19.12.2025 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन मेरठ इकाई** द्वारा श्री शाहनवाज निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद से बिजली कनेक्शन लगवाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री मयंक कुमार अरोरा के नेतृत्व में अर्थला धाम के पास पान के खोखे के सामने जीटी रोड ग्राम अर्थला थाना साहिबाबाद क्षेत्र कमिश्नरेट गाजियाबाद से **विद्युत विभाग (प्रताप बिहार बिजली घर, विजयनगर गाजियाबाद)** के **टेक्नीशियन ग्रेड-2 जयवीर सिंह** पुत्र दल सिंह निवासी शास्त्री नगर ए-ब्लॉक मं0नं0-79 थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद एवं **एस0एस0ओ0 (संविदा कर्मी) रविन्द्र सिंह** पुत्र श्री स्वामी निवासी राहुल बिहार-2, गली नं0-13 प्रताप बिहार जनपद गाजियाबाद को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 19.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 38/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कानपुर देहात/थाना शिवली

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 19.12.2025 को थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भुजुपरा तिराहा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शादाब को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना शिवली पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शिवली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शादाब निवासी गॉधीनगर कस्बा व थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

- **जनपद सम्भल/थाना रजपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को कठोर आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 07 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना रजपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/149/376डी/302/201/34 भादवि के अन्तर्गत 04 अभियुक्तों 1–आराम सिंह 2–महावीर 3–गुल्लु उर्फ जयवीर 4–भोना उर्फ कुमरपाल को कठोर आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 07 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद एटा/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 65–65 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–सुरेन्द्र 2–यागवेन्द्र

उर्फ जितेन्द्र को धारा 302/34/307/504/506 भादवि व 5/27/30 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 65–65 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त धर्मेन्द्र को धारा 302/34/307/504/506 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना मारहरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना मारहरा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–सुनील को धारा 302/34/498ए/201 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 27 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–उजीर 3–अभियुक्ता को धारा 302/34/498ए/201 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 22–22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना रिसिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना रिसिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामफकीरे को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सहारनपुर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सद्दाम उर्फ साजिद को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चित्रकूट/थाना कोतवाली कर्वी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त देवकुमार उर्फ दद्दू को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 29 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 354/323/504/506 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त वीरेन्द्र को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 29 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————